ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, 174505
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025
भाग-1

1. प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चंगर में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अनिल कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री विजय कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष के अंतर का समाधान न करना	0.02
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	4.98
3	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	2.24
4	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.05
5	9.1	मनरेगा व अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु अनियमित/अधिक भुगतान करना	0.06
6	9.2	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.13

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जो कि चिंताजनक है। अत: ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	5 (3, 4 व 6)	अनिर्णीत	
2	7	अनिर्णीत	
3	8	अनिर्णीत	

(ii) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क राशि ₹5400 डिमांड ड्राफ्ट संख्या URB 774608 दिनांक 09.06.2022 प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	4	निर्णीत	प्रस्तुत वित्तीय स्थिति में शून्य अन्तर के दृष्टिगत
3	5	निर्णीत	ऑनलाइन रोकड़ बहियों की पुष्टि उपरांत
4	6	अनिर्णीत	
5	7	अनिर्णीत	
6	8	अनिर्णीत	
7	9	अनिर्णीत	
8	10	अनिर्णीत	
9	11	अनिर्णीत	
10	12	अनिर्णीत	
11	13	अनिर्णीत	
12	14	अनिर्णीत	
13	15	अनिर्णीत	
14	16	अनिर्णीत	
15	17	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
16	18	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04.06.2025 से 06.06.2025 तक ग्राम पंचायत चंगर के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	12/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹2400/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93/2025 दिनांक 06/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत चंगर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2025 दिनांक 04.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से

31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान (4) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात स्व: स्त्रोत, अनुदान (प्लानिंग), 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

4 (1) (क) स्व: स्त्रोत :-

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	512038.28	83737.00	595775.28	116426.00	**479349.28**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	424504.22	1686263.67	2110767.89	1612893.47	**497874.42**

(ग) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2024-25	862485.00	559912.00	1422397.00	226589.00	**1195808.00**

(घ) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्व: स्त्रोत निधि	2024-25	512038.28	83737.00	595775.28	116426.00	**479349.28**
अनुदान (प्लानिंग)	2024-25	424504.22	635603.00	1060107.22	562232.80	497874.42
15वां वित्तायोग शीर्ष	2024-25	862485.00	559912.00	1422397.00	226589.00	**1195808.00**
मनरेगा	2024-25	0.00	1050660.67	1050660.67	1050660.67	**0.00**
संकलित वित्तीय स्थिति	2024-25	**1799027.50**	**2329912.67**	**4128940.17**	**1955908.47**	**2173031.70**

4(2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत चंगर, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100113002	481476.28
2	अनुदान (प्लानिंग)	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	17280000100118106	497874.42
3	15 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100150535	1195808.00
कुल योग				**2175158.70**

4 (3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार:-

1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	479349.28
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	497874.42
4	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1195808.00
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	2173031.70

6	**दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (जमा)**	**2127.00**
7	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	2175158.70
8	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2175158.70
अंतर		**0.00**

4.4 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में ₹0.02 लाख के अंतर का समाधान न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2025 को सलंग्न **परिशिष्ट-1.3** अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतिम शेष में **राशि ₹2127.00** का अंतर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92/2025 दिनांक 06/06/2025 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि वारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 76 दिनांक 06/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि ₹**2127.00** के अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा" ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस

प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व: स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2025 दिनाँक 04.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 76 दिनांक 04.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** है |

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्व:स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्व:स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹4.98 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2025 दिनाँक 04.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट-1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **राशि ₹497874.42** उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2025 दिनाँक 04.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में

उनके प्रतिउत्तर संख्या 76 दिनांक 06.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है" |

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2025 दिनाँक 04.06.2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 76 दिनांक 06.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच –एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय

सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है" । किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2025 दिनाँक 04.06.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 76 दिनांक 06.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2025 दिनाँक 04.06.2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर वसूली हेतु राशि शेष नहीं थी।

अतः भविष्य में भी इस सराहनीय कार्य को यथावत रखने का प्रयास किया जाना सुनिश्चित करें।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹2.24 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट- 3** अनुसार **राशि ₹223631.00** का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92/2025 दिनांक 06/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 76 दिनांक 06.06.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 12 में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के दृष्टिगत प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अत: अंकेक्षणावधि के दौरान कृत समस्त अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला

खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट- 4** अनुसार **राशि ₹268575.00** (जी.एस.टी. को छोड़कर) का भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **राशि ₹5371.50** की 2% जी.एस.टी.टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92/2025 दिनांक 06/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 76 दिनांक 06/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों से नही की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा व अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु राशि ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे"।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **निम्नानुसार राशि ₹6399.00** रेत, बजरी व शटरिंग के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था :-

1. निर्माण कार्य का नाम :-निर्माण टैंक राजकुमार गाँव सिहल निधि का नाम -मनरेगा					
स्वीकृत राशि -75000/-					
कुल खर्च राशि - 68000/-					
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**रूपांतरण कारक**	**बजरी**	**रेत**
MB-162 96,99	1:3:6 1:2:4 15एमएम प्लास्टर	10.42 1.14 28	0.89 0.47 0.018	10.28	5.92
योग				**10.28**	**5.92**
बिल संख्या-199 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				12	7
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				1.72	1.08
क्रय दर				1200	1375
अधिक भुगतान				2064	1485
क्रय निर्माण सामग्री के पारदर्शी लेखांकन के अभाव में सामग्री के दुर्विनियोजन के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान राशि				**2064**	**1485**
कुल योग				**3549/-**	
2. निर्माण कार्य का नाम :-निर्माण नाली व रास्ता पृथ्वी चंद के घर से खेतों के ओर। निधि का नाम - अनुदान प्लानिंग					
स्वीकृत राशि -200000/-					
कुल खर्च राशि -198000/-					

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	शटरिंग
MB-8495 73-75	शटरिंग	0	0	0
योग				0
बिल संख्या-312 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				190
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				190
क्रय दर				15
अधिक भुगतान				2850
क्रय निर्माण सामग्री के पारदर्शी लेखांकन के अभाव में सामग्री के दुर्विनियोजन के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान राशि				**2850**
कुल योग (1 और 2)				**6399/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92/2025 दिनांक 06/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 76 दिनांक 06/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापना नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

9.2 राशि ₹1.13 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को वांछित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 12/2024 में सलंग्न **परिशिष्ट-5** अनुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि **₹112825.00** का भुगतान किया गया था, जिसके सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 92/2025 दिनांक 06/06/2025 द्वारा माप पुस्तिकाओं को सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

सचिव द्वारा पत्र 76 दिनांक 06/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी |

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अन्केक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का अनुसरण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपतिजनक है।

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**प्रारूप संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
4	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2025 दिनांक 04.06.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र 76 दिनांक 06/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2025 दिनांक 04.06.2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 76 दिनांक 06/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक

सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:**- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

5084-5085 01 AUG 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)10/2016 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

01 AUG 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

(16)

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

स्व: स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	512038.28	83737.00	595775.28	116426.00	479349.28

15वें वित्तायोग :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	862485.00	559912.00	1422397.00	226589.00	1195808.00

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	424504.22	1686263.67	2110767.89	1612893.47	497874.42

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	1799027.50	2329912.67	4128940.17	1955908.47	2173031.70

Diff	-2127.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Changer
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रमांक संख्या	विवरण	आरंभिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	512038.28	83737.00	595775.28	116426.00	479349.28
2	अनुदान (प्लानिंग)	424504.22	635603.00	1060107.22	562232.80	497874.42
9	15 वें वितायोग	862485.00	559912.00	1422397.00	226589.00	1195808.00
10	मनरेगा	0.00	1050660.67	1050660.67	1050660.67	0.00
कुल योग		**1799027.50**	**2329912.67**	**4128940.17**	**1955908.47**	**2173031.70**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Changer
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

17

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100113009	481476.28
2	अनुदान (प्लानिंग)	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100118106	497874.42
3	15 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100150535	1195808.00
कुल योग				**2175158.70**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Changer
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

20

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,								
दिनांक 31.03.25 को बैंकों व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-								
1	2	3	4	5	7			9
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹)	रोकड़ बहियों का अंत शेष (₹)	हस्तगत राशि (₹)	रोकड़ बहियों का शुद्ध अंत शेष (₹)	अंतर (₹)
1	स्व: स्त्रोत	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100113009	481476.28	479349.28	167.00	479182.28	**2127.00**
2	अनुदान (प्लानिंग)	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	17280000100118106	497874.42	497874.42	0.00	497874.42	**0.00**
3	15 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100150535	1195808.00	1195808.00	0.00	1195808.00	**0.00**
कुल योग				**2175158.70**	**2173031.70**	**167.00**	**2172864.70**	**2127.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Changer
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

21

परिशिष्ट 1.4 पैरा संख्या 4 में संदर्भित		
ग्राम पंचायत चंगर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	2173031.70
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2175158.70
अन्तर		**2127.00**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	479349.28
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	497874.42
4	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1195808.00
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	2173031.70
7	दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (जमा)	**2127.00**
8	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	2175158.70
9	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2175158.70
अंतर		**0.00**

Panchayat (Secretary)
Gram Panchayat Changer
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत चंगर, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर							
(01.04.2024 से 31.03.2025)							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	0	337	100	33700	33700	33700	**0**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Changer
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 8·1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

		कार्य का नाम	वाउचर संख्या	विक्रेता का नाम व पता	सामग्री	मात्रा cum	कुल भुगतान राशि
1		C/o Rainshelter Vill. Nehlwin Conv. With 15th Fi	406	Reeta Devi Vill. Galot, Hamirpur	agg.	8	11628
					Sand	5	7694
					Stone	2	850
2	Mgnrega	C/o RWH Tank Pritam Chand S/o Diwan Chand Vill Nehlwin Sehbal	410	Reeta Devi Vill. Galot	agg.	10	14156
			410		sand	8	12008
3	Mgnrega	C/o RWH Tank Raj Kumar S/o Lachman Dass Vill Galot Kallan	415	Reeta Devi Vill. Galot	agg.	11	15570
			415		sand	6	9006
4	Mgnrega	C/o RWH Tank Raj Kumar S/o Dhani Ram Village Sehbal	199	Reeta Devi Vill. Galot	agg	12	14250
			199		sand	7	9145
5	Mgnrega	C/o Land Levelling Protection Wall Samudyak Bhawan Vill Galot Kallan	404	Reeta Devi Vill. Galot	agg.	15.3	22239
			404		Sand	8.1	12466
6	Mgnrega	C/o Rasta Main Road Handpump Se Dug Khad Tak Village Changer	405	Reeta Devi Vill. Galot	agg	18	18896
			405		sand	8	12312
			405		stone	6	4844
7	Mgnrega	C/o Land Dev. & Protection Wall in the Land of Pankaj Kumar S/o Birbal Vill Nehlwin	196	Reeta Devi Vill. Galot	agg.	6.5	7718
			196		sand	3.5	4571
8	Mgnrega	C/o Protection Wall Shri Ram Village Nehwin	198	Reeta Devi Vill. Galot	agg	4.5	5348
			200		Agg	8	9500
			200		Sand	4	5225
9	Planning	C/o Path & Drain H/o Prithvi Chand to Field vill. Changer		Reeta Devi Vill. Galot	agg.	9.5	13447
					sand	8.5	12758
		Total					223631

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Changer
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

तिथि

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Reeta Devi vill Galot, PO Changar, Hamirpur	Sand, Aggrigate	268575.00	5371.50
कुल योग					**5371.50**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Changer
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

25

23

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चंगर, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	Mnrega	Upgradation of Shamshanghat Changer	27800
2	Mnrega	C/o Bharat Seva Kendar/community building vill changar	63900
3	Mnrega	C/oSamudayak bhawan galot kallan	21125
Total			**112825**

Secretary
Panchayat
Gram Panchayat Changer
Dev. Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)